वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 27.04.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, न्यायाधीश, परफेक्ट मिशन ," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 26.04.2025

अवैध प्लॉटिंग को किया ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए वीसी पुलकित गर्ग के निर्देश पर वीडीए की टीम ने रामनगर, मौजा-चौरहट में 12 बीघा जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण कराया। जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 26.04.2025

वीडीए ने 12 बीघा में तोड़ी अवैध प्लाटिंग

जासं, वाराणसी : वीडीए सचिव डा. वीपी मिश्रा ने बताया कि जोन पांच के रामनगर वार्ड के चौरहट में वीडीए से बिना ले-आउट पास कराए 12 बीघा में अवैध प्लाटिंग हो रही थी। उसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया। अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

दैनिक जागरण–दि0 27.04.2025

अंतिम नोटिस भेजें, कराएं कुर्की

संपत्ति विभाग की समीक्षा करते वीडीए सचिव डा. वीपी मिश्रा • जागरण

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण के सचिव डा. वीपी मिश्रा ने शनिवार को संपत्ति विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि बड़े बकाएदारों की सूची बनाने के साथ उन्हें नोटिस भेजें। तय अवधि में बकाया राशि नहीं देते हैं तो उनको अंतिम चेतावनी नोटिस भेजने के साथ कुर्की की कार्रवाई करें। वसूली में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई तय है। यह भी देखा जाएगा कि किसके स्तर पर लापरवाही बरती गई है।

सचिव ने बताया कि किराए पर आवंटित संपत्तियों का पैसा जमा कराने, लंबित प्रकरणों, लालपुर आवासीय योजना, देवकी नंदन हवेली, अशोक बिहार, बड़ी गैबी, पिचास मोचन, शास्त्रीनगर योजना, गांधी नगर आवासीय योजना, विनायक आवासीय योजना, गंगा नगर आवासीय योजना, पांडेयपुर, रामनगर आवासीय योजना, संजय गांधी नगर, नदेसर को लेकर एक-एक समीक्षा की गई। विक्रय या किराए की संपत्ति पर बकाया राशि होने पर सूची बनाने के साथ एक सप्ताह के अंदर नोटिस जारी कर दिया जाए। जोनवार संबंधित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की जाएगी। 20 बड़े बकाएदारों की सूची बनाने के साथ उनके खिलाफ प्राथमिकता पर कार्रवाई हो। संपत्ति प्रभारी आनंद प्रकाश तिवारी को निर्देश दिया कि तीन दिन में नदेसर मीट मार्केट के व्यापारियों से संपर्क कर पैसा जमा कराने के साथ रजिस्ट्री कराएं। बैठक में सहायक संपत्ति अधिकारी रमेश दुबे, शंकर उपाध्याय, प्रणव श्रीवास्तव आदि मौजूद थे।

हिन्दुस्तान–दि0 27.04.2025

20 बड़े बकाएदारों को देंगे नोटिस

वाराणसी। वीडीए की बसाई गई कॉलोनियों के 20 बड़े बकाएदारों को तीन दिनों में नोटिस भेजा जाएगा। शुक्रवार को वीडीए मुख्यालय में सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने बैठक में जोनल अधिकारियों की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की। नदेसर मीट मार्केट के संबंध में संपत्ति अधिकारी आनंद प्रकाश तिवारी, सहायक संपत्ति अधिकारी रमेश दुबे तथा पटल सहायक को तीन दिनों में व्यवसायियों से संपर्क करके पैसा जमा कराकर रजिस्ट्री कराने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश–दि0 27.04.2025

वाविप्रा जोन -5 में सम्पादित की गई अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-5, वार्ड-मुगलसराय के अंतर्गत में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-रामनगर, मौजा-चौरहटङ के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग 12 बीघे जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तगर्त पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी परन्तु प्लाटिंगकर्ता द्वारा ले-आउट शमन मानचित्र दाखिल नही किया गया ।अतः आज दिनांक 26/04/2025 को अवैध प्लोत्तिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी ।मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार एवं अवर अभियंता अशोक कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

परफेक्ट मिशन–दि0 27.04.2025

वीडीए सचिव ने योजनावार की समीक्षा बैठक की

20 बड़े बकायदारों को तीन दिन के अंदर पैसा जमा कराने के लिए दिया सख्त निर्देश

❑ **जिन बकायादारों द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है उन्हे निरस्त करे : डॉ वेदप्रकाश मिश्रा**

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी के सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में शनिवार को समिक्षा बैठक आहुत कि गयी। जिसमे संपत्ति अनुभाग के 20 बड़े बकायदारों से बकाया पैसा जमा कराए जाने, किराये पर आवंटित संपत्तियों के पैसा जमा कराए जाने, लंबित प्रकरणों की समीक्षा, लालपुर आवासीय योजना, देवकी नंदन हवेली ,अशोक बिहार, बड़ी गैबी, पिचास मोचन, शास्त्रीनगर योजना, गांधी नगर आवासीय योजना, विनायक आवासीय योजना, गंगा नगर आवासीय योजना, पांडेयपुर, रामनगर आवासीय योजना, संजय गाँधी नगर, नदेसर के संबंध में समीक्षा बैठक आहूत की गई।

सचिव ने निर्देशित किया कि नोटिस की कार्यवाही करते हुए जिन बकायादारों द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है उन्हे निरस्त करे।बैठक में जिन प्रमुख बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया उसमें वाराणसी विकास प्राधिकरण की विकृत सम्पतियो में योजनावार बकायेदार व आर0म0एस0 पोर्टल पर किराये की सम्पतियों की योजनावार समीक्षा की गयी।संपत्ति अनुभाग के बकायदारों की समीक्षा की गयी साथ ही साथ योजनावार बड़े बकायदारों की समीक्षा कर, निर्देशित किया गया कि विगत 03 दिनों के अंदर बकायदारों को जल्द से जल्द भुगतान करे, अन्यथा कि स[illegible] उचि[illegible] कारवाई की जाए[illegible] 1/1 [illegible] मार्केट के सन्दर्भ में संप[illegible] [illegible]धिकारी, सहायक संपत्ति अधिकारी, तथा पटल सहायक को निर्देशित किया गया कि 03 दिनों के अंदर पूर्व नदेसर मीट मार्केट के व्यवसायियों से संपर्क स्थापित कर, पैसा जमा कराकर रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें।बैठक के दौरान संपत्ति अधिकारी आनंद प्रकाश तिवारी, सहायक संपत्ति अधिकारी रमेश दुबे, तथा पटल सहायक उपस्थित रहे।